जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/42 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 7 नवम्बर 2020

भाग-1

भू-माफिया,बिल्डर या पार्षद??

बी.जे.पी. का एक पार्षद दुसरे पार्षद के क्षेत्र में करवा रहा अवैध निर्माण!!!

नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आदर्श नगर ज़ोन में स्थित 4 म 46 जवाहर नगर,वार्ड संख्या 95 जयपुर पर बन रहे अवैध काम्प्लेक्स का है मामला

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

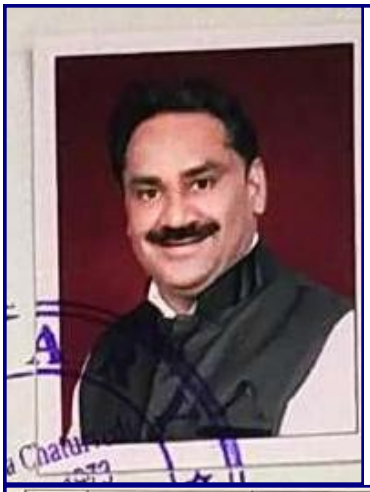

नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 94 से बीजेपी के टिकिट पर पार्षद निर्वाचित हुए है घनश्याम चंदलानी

नगर निगम हेरिटेज के वार्ड न. 94 से इस बार बीजेपी के टिकिट पर घनश्याम चंद्लानी निर्वाचित हुए है|उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हराया है|उनके जीतने से इलाके की जनता को विश्वास हुआ कि उनके आने से क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों से राहत मिलेगी परन्तु उन्हें क्या मालुम कि उन्होंने जिसे जीता कर अपना प्रतिनिधि बनाया है वही व्यक्ति इलाके में अवैध निर्माण करवाने का सिरमोर है|

कहने को बिल्डर ,दो प्राईवेट कम्पनियों में हिस्सेदार,लेकिन करवा रहे है कई जगह अवैध निर्माण

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित –1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	नकद	90,000/– रू	25,000/– रू	"शून्य"	"शून्य"	"शून्य"
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1.ए.यू. स्माइल बैंक शाखा राजापार्क खाता संख्या 1711221714163766 जमा रकम 169279.86 /–रू0 2.यूको बैंक, शाखा जवाहर नगर, जयपुर खाता संख्या 15520100183598 राशि 21802/–	1.एच.डी.एफसी. बैंक शाखा जवाहर नगर, जयपुर खाता संख्या 501003482629 42 राशि 96000/–	"शून्य"	"शून्य"	"शून्य"
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों /शेयरों तथा यूनिट/म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम	1.सांई कृपा कॉलोनाईजर एल.एल.पी. में 25 प्रतिशत शेयर राशि 25000/–रू0 2.महालक्ष्मी कृपा बिल्डर्स प्रा0 लि0 में 33 प्रतिशत शेयर राशि 32000/–रू0	"शून्य"	"शून्य"	"शून्य"	"शून्य"

NOTARY Anupama Chaturvedi Regd No 4973 JAIPUR Comm Expired on 28-11-2022 GOVT. OF INDIA

निर्वाचन विभाग को दी गयी जानकारी के अनुसार घनश्याम चंद्लानी की दो कम्पनियों में हिस्सेदारी है जिनमे एक साई कृपा कोलोनायजर एल.एल.पी.में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी और महालक्ष्मी कृपा बिल्डर्स प्रा.लि. में 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी है|परन्तु इसकी आड़ में उन्होंने क्षेत्र में कई अवैध निर्माण करवा रखे है|

मकान संख्या 4 म 46 जवाहर नगर पर बिना सेटबैक,बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना करवाए बन रहा व्यवसायिक काम्प्लेक्स

श्रीमान नव निर्वाचित पार्षद महोदय द्वारा मकान संख्या 4 म 46,जवाहर नगर पर बिना सेटबैक,बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना करवाए व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है|गौरतलब बात यह है कि यह मकान वार्ड न.95 में है जिसके पार्षद श्री महेश कलवानी है वह भी बीजेपी के टिकिट पर निर्वाचित हुए है|

बिल्ली को छींके की रखवाली

लगता है घनश्याम चंद्लानी को जिताकर स्थानीय जनता ने बिल्ली को छींके की रखवाली सौंप दी है|कहीं ऐसा ना हो कि 5 सालो में यह निर्वाचित श्रीमान अवैध निर्माणों से ही इलाके का भौगोलिक नक्शा बदल दें|परन्तु अब शायद जनता के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं है|हालाकिं उनके अवैध कामों का विरोध करने वाले खुलकर सामने आने की तैयारी कर रहे है|

	प्रथम सुचना रिपोर्ट	
1.	भूखंडो का पता	भूखंड संख्या-4 म 46 जवाहर नगर,,जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियाँ,अनाधिकृत 4 तलों का अवैध निर्माण(दुकाने,हॉल,फ्लेट्स)
7.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम जयपुर हेरिटेज,आदर्श नगर ज़ोन वार्ड-95
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री राजेश यादव
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	07/11/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का व्यवसायिक उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा नगर निगम से इस भूखंड का मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार निगम के कौन कौन से अधिकारी है?
7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस जे.डी.ए./नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना भी पड़ा कि जे.डी.ए./निगम के अधिकारी ले-देकर पास-पास की ही एक बिल्डिंग को तो तोड़ देते है और एक को छोड़ देते है,क्या उनका यह सवाल जायज है?
8. हमारे द्वारा यह मामला निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद, यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
9. क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
10. क्या इस भूखंड पर हो रहे अवैध निर्माण की आज तक किसी जागरूक नागरिक द्वारा शिकायत नहीं की गयी है?या फिर उस सभी शिकायतों को दबा दिया गया है?
11. क्या आज तक जोन के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर क्षेत्र में निरिक्षण के दौरान इस अवैध निर्माण पर नहीं पड़ी?या फिर वह अपने क्षेत्र में नियमित निरिक्षण ही नहीं करते?

इसी क्षेत्र में बन रही अवैध चार मंजिला बिल्डिंग का खुलासा अगले भाग में!!!!